लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *368

19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र निर्यात में गिरावट

***368. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जून, 2025 में वस्त्र निर्यात में 2.07 प्रतिशत की गिरावट आई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वस्त्र क्षेत्र द्वारा वस्त्र परिधान मूल्य श्रृंखला हेतु एक समान माल एवं सेवा कर की मांग की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में सामान्य कपास को जैविक कपास के रूप में बेचा जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री टी. एम. सेल्वागणपति द्वारा वस्त्र निर्यात में गिरावट के संबंध में दिनांक 19.08.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *368 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): भारत के हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल निर्यात में अप्रैल-जून 2025 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.02% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

वस्तु	अप्रैल-जून 2024	अप्रैल-जून 2025	% परिवर्तन
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए	9,141	9,326	2.02%

स्रोत: डीजीसीआईएस (अनंतिम डेटा)

(ख) और (ग): भारत सरकार ने वस्त्र मूल्य श्रृंखला में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत और एकरूप बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। जूट फाइबर और कच्चे रेशम को जीएसटी से छूट प्राप्त है। कपास के मद मे , रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कच्चे कपास पर 5% की दर से कर लगाया जाता है और कॉटन यार्न और फैब्रिक पर भी 5% जीएसटी लगाया जाता है। जूट के आइटम्स मे , जूट यार्न और फैब्रिक पर और रेशम आईटम्स मे , सिल्क यार्न और फैब्रिक पर 5% की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

1,000 रुपए प्रति पीस से कम मूल्य के अपैरल और क्लोदिंग एसेसरीज पर 5% की दर से कर लगाया जाता है, और 1,000 रुपए प्रति पीस से अधिक मूल्य के अपैरल और क्लोदिंग एसेसरीज पर 12% की दर से कर लगाया जाता है।

इसके अलावा, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कालीन, हैंडमेंड लेस और हाथ से बुने हुए टेपेस्ट्री आदि पर 5% की एक समान दर से जीएसटी लगाया जाता है।

इस संबंध में उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदन समय-समय पर राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं।

(घ) और (ङ): वाणिज्य विभाग द्वारा कार्यान्वित नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी) के अंतर्गत, आर्गेनिक कपास प्रमाणन को उत्पादन चरण तक कवर किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान एनपीओपी के तहत आर्गेनिक कपास का कुल उत्पादन 24.96 लाख मीट्रिक टन (21.92 लाख मीट्रिक टन आर्गेनिक और 3.03 लाख मीट्रिक टन कन्वर्जन प्रोडक्शन सहित) था। उत्पादन के बाद की गतिविधियाँ निजी प्रमाणन के अंतर्गत की जाती हैं। प्रमाणन निकाय, आर्गेनिक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए एनपीओपी के तहत राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियां हैं। एनपीओपी के तहत, प्रमाणन और आर्गेनिक प्रक्रियाओं में जहाँ कहीं भी चूक/उल्लंघन देखा जाता है, वहाँ उचित कार्रवाई की जाती है।

*****